

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-19092025-266251
SG-DL-E-19092025-266251असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2025/भाद्र 27, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 236
No. 275]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025/BHADRA 27, 1947	[N. C. T. D. No. 236

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह विभाग
(गृह रक्षक महानिदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

फा.सं. स्था. 3 (156)/गृ.र./2017/5342/2834.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० फा० 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डिस्पैच राइडर गृह रक्षक, दिल्ली के पद हेतु भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में डिस्पैच राइडर के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- इन भर्ती नियमों को गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में डिस्पैच राइडर, भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

ii. ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग :-** ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
4. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
6. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
7. **बचाव :-** इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1.	पदनाम	:	डिस्पैच राइडर
2.	पदों की संख्या	:	01'(2025) 'परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' (अराजपत्रित / अलिपिकीय)
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतन स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-02 (रुपये 19900-63200/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु-सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी। टीप:- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य:- <ol style="list-style-type: none"> मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। मोटर साइकिल चालक का दो वर्ष का अनुभव हो। मोटर साइकिल तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए।) मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाइल / मोटर वाहन तंत्र ट्रेड में कम से कम 01 वर्ष का <u>डिप्लोमा/प्रमाणपत्र</u> कोर्स।

			<p>टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यता, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।</p> <p>टीप 2 :- अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन की किसी अवस्था में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है/हैं।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	<p>समूह "ग" विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) — अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य 3. उप-सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य <p>टीप :- यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राखी सिंघल, उप-सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT

(Directorate General of Home Guards)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th September, 2025

F. No. Estt. 3 (156)/HG/2017/5342/2834.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification no.F.27/59-Him (i) dated. 13th July, 1959 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of **Dispatch Rider** Home Guards, Delhi except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Lt, Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of Dispatch Rider in the Directorate General of Home Guards, Government of National Capital Territory of Delhi.

1. Short title and commencement:-

- These Recruitment Rules may be called the Dispatch Rider Recruitment Rules, 2025 in the Directorate General of Home Guards, Government of NCT of Delhi.
- They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Application:-** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of Posts, classification and level in pay matrix:-** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Column No. (2) to (4) of the Schedule.
4. Method of recruitment, age limit, other qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said schedule.
5. **Disqualification:-** No person;
- Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
 - Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;
- Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, Exempt any person from the operation of these Rules.
6. **Power to relax:-** where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, in consultation with the UPSC may relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving:-** Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of the Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Selection or Non Selection	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Dispatch Rider	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	Group "C" (Non-Gazetted/Non-Ministerial)	Level-02 (Rs.19900-63200/-) in the Pay Matrix	N.A.	Between 18 to 25 years* *In case of post being filled up by all-India competition, it would be between 18 to 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instruction or orders issue by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.	Essential: 1. Possession of valid license for Motor Cycle or Auto Rikshaw. 2. Two year experience in Driving Motor Cycle. 3. Knowledge of Motor Cycle Mechanism (The Candidate should be able to remove minor defects in the Vehicle) 4. Matriculation or Diploma/Certificate course of at least one year in automobile/motor vehicle mechanic trade from industrial Training Institute or any recognized Institute. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of DSSSB/Competent Authority for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the

						discretion of the DSSSB/Competent Authority for the reasons to be recorded in writing, In case of candidates belonging to SCs or STs. If at any stage of selection the DSSSB/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities processing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
Whether age limit, educational qualifications prescribed for Direct recruitment will apply in case of promotes.	Period of probation , if any	Method of recruitment Whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation /transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer/absorption on grades from which promotion /deputation /transfer/absorption to be made		If a Departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
8	9	10	11		12	13
N.A.	Two Years	100% Direct recruitment .	N.A.		<p>Group 'C' DPC (for considering confirmation) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Principal Secretary/Secretary (Power) - Chairman 2. Head of the Department concerned-Member 3.Dy. Secretary (Finance) GNCT of Delhi-Member <p>Note: Senior most member of Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.</p>	Consultation with UPSC is not Necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi
RAKHI SINGHAL, Dy. Secy. (Home)